भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 27
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय:एमएसपी पर डब्ल्यूटीओ के प्रतिबंध
***27. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः**
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एमएसपी और राजसहायता पर डब्ल्यूटीओ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से छोटे किसानों को बचाने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को डब्ल्यूटीओ की चुनौतियों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए वैकल्पिक व्यापार नीतियां बनाई गई हैं या समझौते किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान राजसहायता, एमएसपी और व्यापार वार्ता के लिए आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है तथा छोटे किसानों की आय पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"एमएसपी पर डब्ल्यूटीओ के प्रतिबंध" के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 27 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): सरकार ने घरेलू समर्थन और सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के संदर्भ में छोटे किसानों सहित किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं।

कृषि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें राज्य में कृषि के विकास के लिए उचित उपाय अपनाती हैं। तथापि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करके किसानों के कल्याण के लिए हैं। सरकार के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की गई है।

सरकार ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, जिससे अधिक निवेश और उत्पादन को बढ़ावा मिले। वर्ष 2018-19 से सरकार अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% रिटर्न के साथ एमएसपी तय कर रही है। 2019-20 से 2023-24 तक किसानों को दिया गया कुल एमएसपी मूल्य इस प्रकार है:

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
किसानों को भुगतान किया गया एमएसपी मूल्य (राशि करोड़ रुपये में)	2,55,949	2,80,167	2,73,092	2,37,492	2,48,960

वर्ष 2024-25 (26.01.2025 तक) में गेहूं और धान की खरीद से क्रमशः 2248725 और 7684886 किसान लाभान्वित हुए है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) और प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) जैसी योजनाओं के माध्यम से छोटे किसानों सहित अन्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें डब्ल्यूटीओ दिशानिर्देशों का पालन करते हुए निरंतर सरकारी खरीद और खाद्य वितरण सुनिश्चित किया जाता है।

रबी 2023-24 सीजन के दौरान, पीएम-आशा के तहत 2.75 लाख किसानों से 4,820 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य की 6.41 लाख मीट्रिक टन दालें खरीदी गईं, जिसमें किसानों को सहायता देने

के लिए एमएसपी पर 2.49 लाख मीट्रिक टन मसूर, 43,000 मीट्रिक टन चना और 3.48 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीद शामिल है। इसी तरह, 5.29 लाख किसानों से 6,900 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य की 12.19 लाख मीट्रिक टन तिलहन की खरीद की गई।

भारत ने घरेलू जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाकर अपनी कृषि की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए हाल ही में खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में वृद्धि, चावल और प्याज से निर्यात शुल्क हटाने, राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईएनएएम) जैसे कृषि सुधारों और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) आदि जैसी योजनाओं जैसी व्यापार नीतियों के संयोजन को सक्रिय रूप से नियोजित किया है। भारत ने अपने किसानों की रक्षा करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक सतत कृषि क्षेत्र को बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। भारत अपने कृषि हितों की रक्षा करते हुए कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और विविधता लाने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (द्विपक्षीय और क्षेत्रीय) में भी शामिल रहा है। इन समझौतों में अक्सर ऐसे प्रावधान होते हैं जो कृषि सब्सिडी में छूट सुनिश्चित करते हैं, सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं या कृषि उत्पादों पर शुल्क लगाने में सक्षम बनाते हैं।

2020-21 से 2024-25 के दौरान खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर केन्द्र सरकार का व्यय तथा कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर केन्द्र सरकार का व्यय निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	वर्ष	उर्वरक सब्सिडी	खाद्य सब्सिडी	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ
1	2020-21 (वास्तविक)	1,27,922	5,41,330	1,34,420
2	2021-22 (वास्तविक)	1,53,758	2,88,969	1,43,317
3	2022-23 (वास्तविक)	2,51,339	2,72,802	1,25,875
4	2023-24 (आरई)	1,88,894	2,12,332	1,40,533
5	2024-25 (बीई)	1,64,000	2,05,250	1,51,851

स्रोत: बजट दस्तावेज़ 2022-23, 2023-24 और 2024-25

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) द्वारा निश्चित अंतराल पर किया जाता है। कृषक परिवारों की आय पर अंतिम उपलब्ध अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2019) के दौरान किए गए कृषक परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण पर आधारित हैं। सर्वेक्षण के अनुसार एनएसएस 70वें दौर

(2012-13) और एनएसएस 77वें दौर (2018-19) से प्राप्त प्रति कृषक परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय क्रमशः 6,426 रुपये और 10,218 रुपये थी।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कृषि करार (एओए) के अनुसार, सभी सदस्य बाज़ार मूल्य समर्थन (एमपीएस) प्रदान कर सकते हैं, जिसमें भारत के मामले में लागू प्रशासित मूल्यों यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकार द्वारा फसलों की खरीद शामिल है। इस तरह के समर्थन को वार्षिक आधार पर डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकासशील देश के सदस्य होने के नाते उत्पाद-विशिष्ट समर्थन न्यूनतम सीमा यानी संबंधित फसल के उत्पादन मूल्य के 10% के भीतर होना चाहिए। 10% की समान न्यूनतम सीमा पूरे कृषि क्षेत्र में गैर-उत्पाद विशिष्ट समर्थन पर भी कार्यान्वित होती है।

निर्दिष्ट फसलों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों हेतु सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रम (पीएसएच) वर्तमान में 'पीस क्लाउज' के अंतर्गत आते हैं, जिसे डब्ल्यूटीओ के बाली मंत्रिस्तरीय निर्णय (2013) में निर्धारित किया गया है, जिसे लोकप्रिय रूप से 'बाली पीस क्लाउज' के रूप में जाना जाता है, जो कुछ शर्तों के अधीन विकासशील देश के सदस्यों द्वारा उत्पाद-विशिष्ट न्यूनतम सीमा को पार करने की अनुमति देता है।

******